

कार्यालय जिलाधिकारी, कासगंज

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद कासगंज में गठित “जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन” (DWSM) समिति की दिनांक 13-10-2021 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

प्रमुख सचिव, उ० प्र० शासन नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा०सं० 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी.सी. -अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-05-2010-20 स्वजल/2010 (टी.सी.-अ) दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर पर गठित “जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन” समिति की बैठक दिनांक 13-10-2021 को आयोजित की गई। जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. जिलाधिकारी, कासगंज	- अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी, कासगंज	- उपाध्यक्ष
3. जिला विकास अधिकारी, कासगंज	- सदस्य
4. प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	- सदस्य
5. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, कासगंज	- सदस्य
6. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कासगंज	- सदस्य
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कासगंज	- सदस्य
8. अधिशासी अभियन्ता, वॉटर रिसोर्स/सिंचाई	- सदस्य
9. जिला कृषि अधिकारी, कासगंज	- सदस्य
10. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, कासगंज	- सदस्य
11. श्री राधा कृष्ण दीक्षित, कासगंज	- नामित सदस्य
12. अधिशासी अभियन्ता, नि०ख० उ०प्र० जल निगम कासगंज	- सदस्य सचिव

अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), नि०ख० उ०प्र० जल निगम, कासगंज द्वारा अवगत कराया गया है, कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा जनपद कासगंज में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिये नई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मै० पी.एन.सी. इन्फ्राटेक प्रा०लि० आगरा एवं रेट्रोफिटिंग योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मै० आर्येन एक्सचेंज, अलीगढ़ को चयनित किया गया है। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से “जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति” द्वारा मै० पी.एन.सी. प्रा०लि० आगरा की फर्म को 391 ग्राम पंचायतों की सूची एवं मै० आर्येन एक्सचेंज, अलीगढ़ की फर्म को 09 नग ग्राम पंचायतों की सूची उपलब्ध कराई गई। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत फर्म मै० पी.एन.सी. द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये निर्देशों के अनुपालन में कुल 23 नग पे०यो० की डी.पी.आर बैठक में प्रस्तुत की गई।

3-10

for

2

DFD

for

BSA

(E.L.)

गी.एन.सी. द्वारा प्रस्तुत की गई 23 नग नई योजनाओं की लागत रु. 6000.00 प्रति व्यक्ति से कम पाई गई। जो कि नमामि ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 के पत्रांक 51/2021/1883/छिहत्तर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 06 अगस्त 2021 के विन्डू सं0 01 के अनुसार स्वीकृत योग्य है।

डी.पी.आर. विरचन हेतु गाइड लाइन के मुख्य विन्डू निम्नानुसार है :-

1. Population Projection हेतु आधार वर्ष 2022, मध्य वर्ष 2037 और डिजाइन वर्ष 2052 रखा जाये। विभिन्न Mathematical एवं Graphical मॉडल्स के आधार पर सर्वोत्तम एवं उचित जनसंख्या का चयन किया जाये।
2. नलकूप और पम्पिंग प्लान्ट के डिजाइन मध्य वर्ष (15 वर्ष) की वाटर डिमान्ड पर किया जाये।
3. अवर जलाशय की क्षमता की गणना मध्य वर्ष (15 वर्ष) पर Draw off पैटर्न पर की जाये।
4. सामान्यतः सोलर आधारित योजनाएँ निम्नित की जाये, जिस हेतु पम्पिंग Hours 6.5 लिया जाये।
5. वितरण प्रणाली में न्यूनतम पाइप का व्यास 63 एम.एम. रखा जाये एवं 200 एम.एम. व्यास तक एच.डी.पी.ई. पाइप एवं 200 एम.एम. व्यास से अधिक हेतु डी.आई. पाइप का प्रयोग किया जाये।
6. वितरण प्रणाली के डिजाइन हेतु न्यूनतम टर्मिनल प्रेशर 7.0 मी0 रखा जाये।
7. वाटर डिमान्ड की गणना हेतु 55 LPCD + 15% unaccounted water को लिया जाये।
8. ग्राम के प्रत्येक घर को गृह पेयजल संयोजन दिया जाना है, एवं प्रत्येक सार्वजनिक स्थल पर एक स्टैंड पोस्ट का प्राविधान किया जाये।
9. एक फायर हाइड्रेंट वाटर वर्क्स पर एवं एक फायर हाइड्रेंट प्रत्येक राजस्व ग्राम में दिया जाये।
10. वाटर वर्क्स हेतु वाउन्ड्री वॉल की ऊँचाई 1.20 मी0 रखी जाये एवं 3.6 मी0 चौड़ाई का मैन गेट एवं 1.20 मी0 चौड़ाई का विकेट गेट रखा जाये।

फर्म द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर. में ली गई कार्यों की दरें SWSM तथा जल निगम द्वारा निर्गत दरों के आधार पर ली गई है। समस्त प्रस्तुत डी.पी.आर. की SWSM तथा जल निगम द्वारा निर्गत की गई तकनीकी गाइडलाइन के अनुरूप सघनता से जाँच की गई। जाँच में पाई गई कमियों का निराकरण करते हुये, समस्त डी.पी.आर. जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को प्रस्तुत की गई। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

Sl No.	District	Block	Name of Scheme	Total No. of GP	Total no. of Rev. village	Total no. of Hab.	FHTC	Population detail		Estimated cost (Rs. In lac) (Centage + GST)	OHT (no.)	OHT capacity (kl)	D.S. (km.)
								Base Year 2022	Design year 2052				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kasganj	Soron	Raipur Patna	1	1	1	776	3878	6138	358.65	1	250	10.852
2	Kasganj	Soron	Bharpura	1	3	4	567	2834	4944	329.75	1	200	9.604
3	Kasganj	Soron	Chandaus	1	2	3	758	3788	5761	361.34	1	225	10.68
4	Kasganj	Soron	Kadarbari	1	1	5	1480	7368	13267	546.80	1	500	13.712
5	Kasganj	Sidhpura	Hamirpur	1	1	6	693	3462	5388	314.35	1	225	7.931
6	Kasganj	Sidhpura	jasmai	1	1	2	565	2821	4645	296.28	1	175	8.016
7	Kasganj	Sahawar	Lakhmipur Gopal Singh	1	1	4	909	4543	7197	478.86	1	300	20.737
8	Kasganj	Sahawar	Nagla Badan	1	2	3	576	2878	4974	326.17	1	200	9.853
9	Kasganj	Sahawar	Pithanpur	1	3	4	1474	7368	11202	650.79	1	500	18.036
10	Kasganj	Sahawar	Bastarmau	1	1	4	1181	5904	9558	597.02	1	400	20.924
11	Kasganj	Sahawar	Bonder	1	1	4	1024	5116	7985	472.88	1	350	13.204
12	Kasganj	Patiyali	Dharampur	1	1	2	574	2733	4380	290.26	1	175	7.174
13	Kasganj	Patiyali	Beenpur	1	3	3	677	3383	5846	390.81	1	225	13.168
14	Kasganj	Patiyali	Sikandarpur manouna	1	4	5	661	3964	6385	423.30	1	250	17.812
15	Kasganj	Patiyali	Nagla Amir	1	1	1	664	3316	5190	345.93	1	200	12.264
16	Kasganj	Patiyali	Kanseser Nagla	1	1	2	582	2907	5142	307.25	1	200	7.598
17	Kasganj	Amanpur	Bhadairi	1	1	1	595	2971	5006	279.37	1	200	7.964
18	Kasganj	Amanpur	Bhagupura	1	2	2	544	2719	4772	317.13	1	175	7.954
19	Kasganj	kasganj	Kiloni	1	1	2	669	3344	5924	327.10	1	225	7.796

23

23

23

23

23

Kasganj	Kasganj	Himmatpur Sai	1	1	1	632	3157	5541	304.16	200	6.665	
Kasganj	Kasganj	Itauwa	1	2	4	710	3549	5850	346.89	225	9.63	
Kasganj	Ganj Dundwara	Bahota	1	1	5	753	3761	6600	368.40	250	12.125	
Kasganj	Ganj dundwara	Gajaura	1	2	3	763	3813	6691	382.14	250	11.565	
	TOTAL		23	37	71	17827	89577	148386	8815.63	23	5900	265.264

अतः प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, उ०प्र० शासन लखनऊ के आदेश सं० 1197/छियत्तर-1-2021-25 सम/2019 दिनांक 21 मई 2021 के अनुपालन में कार्यदायी संस्था मै० पी.एन.सी. द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलनों को नियमानुसार 5.00 करोड से अधिक लागत की 03 नग योजनाओं को जिला स्तर पर गठित “जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन” समिति द्वारा संस्तुति कर एवं अवशेष 20 नग योजनाओं के प्राक्कलन जिनकी लागत रु. 5.00 करोड तक है, “जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन” समिति द्वारा वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृत प्रदान कर अधिशासी निदेशक “राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन” लखनऊ को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अधिशासी अभियन्ता
नि०ख० उ०प्र० जल निगम
कासगंज
(सदस्य सचिव)

श्री राध कृष्ण दीक्षित
कासगंज
(नामित सदस्य)

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी
कासगंज
(सदस्य)

जिला कृषि अधिकारी
कासगंज
(सदस्य)

अधिशासी अभियन्ता
वाटर रिसोर्स/ सिचाई
कासगंज
(सदस्य)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कासगंज
(सदस्य)

जिला मुख्य चिकित्साधिकारी
कासगंज
(सदस्य)

प्रभागीय वनाधिकारी,
कासगंज
(सदस्य)

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
कासगंज (सदस्य)

जिला विकास अधिकारी
कासगंज
(सदस्य)

मुख्य विकास अधिकारी
कासगंज
(सपाध्यक्ष)

जिलाधिकारी
(अध्यक्ष)

“जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति”
कासगंज